



Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, प्रायगर्जन तल, सेक्टर ११, अलीगढ़, लखनऊ-२२६०२४।
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector 11, Aligarh, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, gaimocfrolko@gmail.com

पत्र सं० : ८वी/यू०पी०/०५/२०२४/एफ.सी. | १७०

दिनांक: 18.07.2024

सेवा में,

अतिं० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/15538/2015

विषय: 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-१ के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित ०. ३४५६ हेतु संरक्षित वनभूमि एवं बाधक १८ वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित ०.८०६४ हेतु संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ३७ वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित ०.४२८८ हेतु संरक्षित व १४.४१०६ हेतु आरक्षित वनभूमि अर्थात् १४.८३९४ हेतु वनभूमि एवं बाधक २४६० वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभावित १.४१५६ हेतु संरक्षित वनभूमि एवं बाधक १६ वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभावित ०.३४५६ हेतु संरक्षित वनभूमि एवं बाधक २२० वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभावित २.१५०४ हेतु संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ६७ वृक्षों के पातन कुल ५.४९१३ हेतु संरक्षित एवं १४.४१०६ हेतु आरक्षित अर्थात् कुल १९.९०१९ हेतु वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक २८१८ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-१०५/८१-२-२०२४-८००(९२) / २०२४, दिनांक 18.06.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रज्ञात प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न विन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. The complete alignment including both Forest and Non Forest land of the area proposed for diversion needs to be depicted in KML file. The Revised KML file of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the Parivesh portal.
2. The revised geo-referenced map of the area proposed for diversion in Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Fathepur district is required. The map must include geo-coordinate points, which needs to be accurately specified. This needs to be uploaded on Parivesh portal.
3. The KML file of the alternate routes needs to be uploaded on Parivesh portal.
4. As per Google Earth imagery, the proposed CA land of the Meza range falls under the Barren/Rocky area. This needs clarification in terms of suitability of tree plantation.
5. Project Sanction letter needs to be uploaded on Parivesh portal.
6. List of affected trees and list of trees to be actually felled to be provided separately.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरेक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन प्रभावित वनभूमि परानपुर मण्डल कानपुर एवं प्रयागराज एवं आगरा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरेया/फतेहपुर।
5. महाप्रबन्धक (पारेषण) एस०ई०य०पी०पी०टी०सी०एल० विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

Signed by Prachi Gar
(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरेक्षक [केन्द्रीय] १७:

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- १८२ / ११-सी-FP/UP/Trans/15538/2015, लखनऊ, दिनांक: जुलाई १९, २०२४

- प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रयागराज एवं आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुये इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरेया/फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि— महाप्रबन्धक (पारेषण), एस०ई०य०पी०पी०टी०सी०एल०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।